न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी

जिला– सवाई माधोपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी का नाम–श्री नवरत्न कोली, आर0ए0एस0

मुकदमा नंबर	किस्म मुकदमा	दर्ज दिनांक	निर्णय दिनांक
25/19	FSS Act	24.07.2019	01.11.21

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाईमाधोपुर।

–आवेदक

बनाम

1. श्री सुरेश कुमार तुलारा पुत्र श्री बाबू लाल तुलारा उम्र 42 साल निवासी चौकीदारी मौहल्ला, बालाजी चौक के पास, गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर (खाद्य विक्रेता एवं फर्म मालिक) मैसर्स गुरूकृपा ट्रेडर्स, आर्य समाज मंदिर रोड, गंगापुर सिटी, जिला सवाईमाधोपुर।
2. श्री दिनेश कुमार झम्ब पुत्र श्री जगदीश कुमार झम्ब निवासी मकान नंबर 613, सेक्टर 4 अरबन एस्टेट, गुडगांव, जिला हरियाणा 122001 (नोमिनी) मैसर्स डॉबर इण्डिया लिमिटेड, 86 ए खेडा इण्डस्ट्रियल एरिया, सेक्टर 3 पीथमपुर, जिला धार (मध्यप्रदेश) 454774।
3. मैसर्स डॉबर इण्डिया लिमिटेड, 86 ए खेडा इण्डस्ट्रियल एरिया, सेक्टर 3 पीथमपुर, जिला धार (मध्यप्रदेश) 454774।

–अभियुक्तगण

जुर्म अन्तर्गत एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(ii)

निर्णय दिनांक– 01.11.21

- यह न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी श्री वेदप्रकाश पूर्विया (आवेदक) ने अंतर्गत एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) प्रस्तुत कर निवेदन किया है।
- न्याय निर्णयन प्रतिवेदन के अनुसार संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 09.07.2018 को समय 3:15 पी.एम. पर मैसर्स गुरूकृपा ट्रेडर्स , आर्य समाज मंदिर रोड़, गंगापुर सिटी जिला सवाईमाधोपुर पर पहुँचा वहाँ पर श्री सुरेश कुमार तुलारा पुत्र श्री बाबू लाल तुलारा उम्र 42 साल निवासी चौकीदारी मौहल्ला, बालाजी चौक के पास, गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर मिला जिसको मैंने अपना परिचय पत्र दिखाकर अपना परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया, आवेदक द्वारा विक्रेता से खाद्य रजिस्ट्रेशन/खाद्य अनुज्ञापत्र की प्रति मांगी विक्रेता द्वारा मौके पर खाद्य अनुज्ञापत्र नही होना जाहिर किया तत्पश्चात विक्रेता की उपस्थिति में दुकान का निरीक्षण किया खाद्य पदार्थ pure coconut oil anmol gold (dabur) 500 ml. का नमूना लिया जाकर इसकी सूचना गवाह की उपस्थिति में फार्म नं0 5 ए विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली, जो कि न्यायनिर्णयन आवेदन में संलग्न है। आवेदक द्वारा खाद्य पदार्थ

- pure coconut oil anmol gold (dabur) 500 ml. के चार डिब्बे वास्ते नमूना जॉच हेतु कय राशि 576/– रूपये नकदी चुकाकर मय हस्ताक्षर रसीद प्राप्त की तथा उपस्थित गवाहन के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वंय आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये, जो न्यायनिर्णयन आवेदन मे संलग्न है। आवेदक ने खरीदे गए खाद्य पदार्थ pure coconut oil anmol gold (dabur) 500 ml. के चारो डिब्बो को मूल ही लेकर चार लेबल तैयार किये गये जिन पर नमूने का विवरण अकित कर नियमानुसार सीलबन्द करके अभिहित अधिकारी सवाईमाधोपुर से प्राप्त पेपर स्लिप क्रमांक 1413 प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाया तथा प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाहो के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर आवेदक द्वारा हस्ताक्षर कर चारो नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया। आवेदक ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहन को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता श्री सुरेश कुमार तुलारा पुत्र श्री बाबू लाल तुलारा ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक ने फार्म नं. 6 की प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं 02 प्रति फार्म नं. 6 की अलग से सील्ड लिफाफे में गजानंद लोधा द्वारा खाद्य विश्लेषक, कोटा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की गई जो कि न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के डी.ओ.(मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी) सवाई माधोपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो कि न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक डी.ओ.(मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी) सवाई माधोपुर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2018/3151 दिनांक 04.09.2018 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक कोटा से प्राप्त जॉच रिपोर्ट सं. 408/सीवीएस/एफएसएसए/कोटा/एक्ट/2018/477 दिनांक 23.08.2018 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ pure coconut oil anmol gold (Dabur) सबस्टेण्डर्ड पाया गया। जॉच रिपोर्ट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। गुरूकृपा ट्रेडर्स द्वारा खाद्य पदार्थ pure coconut oil anmol gold (dabur) का खरीद बिल डाबर इण्डिया लिमिटेड का प्रस्तुत किया जिस पर डॉबर इण्डिया लिमिटेड, 86 ए खेडा इण्डस्ट्रियल एरिया, सेक्टर 3 पीथमपुर, जिला धार (मध्यप्रदेश)454774 नें फर्म से सम्बंधित दस्तावेज, नोमिनी, फॉर्म 9, रिज्यूलेशन लेटर एवं फर्म का खाद्य अनुज्ञापत्र भिजवाये। आवेदक द्वारा प्रकरण के समस्त दस्तावेज पत्र क्रमांक एफएसएसए/2018/3151 दिनांक 04.09.2018 की पालना में श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जमा कराये गये जिस पर कार्यालय के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2019/1329 दिनांक 04.06.2019 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्यायनिर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है, जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

उक्त प्रकरण मे अभियुक्त ने सबस्टेण्डर्ड खाद्य पदार्थ pure coconut oil anmol gold (dabur) का विक्रय एव निर्माण कर खाद्य सुरक्षा एव मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनिय 2006 की धारा 51 मे जुर्माने योग्य अपराध है।

इस प्रकार उपरोक्त आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर अभियुक्तगण पर अधिकतम जुर्माना लगाया जाने का निवेदन किया है।

- न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। जिसकी पालना मे अभियुक्तगण ने उपस्थित होकर अपनी ओर से श्री विवेक कुमार मीना, एडवोकेट से वकालतनामा पेश करवाकर जबाव प्रस्तुत किया
- अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत जबाव का अवलोकन किया गया जिसमे अकित है कि खाद्या सुरक्षा अधिकारी द्वारा जिस खाद्य पदार्थ pure coconut oil anmol gold (dabur) 500 मिली. के डिब्बों का प्रार्थी (अभियुक्त स.–1) के प्रतिष्ठान में विक्रय हेतु रखे होना बताया है जो गलत है जबकि वास्तव मे उक्त खाद्य पदार्थ डेमेज केटेगरी के होने के कारण अभियुक्त सं.–1 द्वारा रिप्लेस करने के आशय से रखे गए थे। उक्त खाद्य पदार्थ के डेमेज होने के कारण खाद्य पदार्थ खुले वातावरण के सम्पर्क मे थे जिस कारण खाद्य पदार्थ उपयोग किए जाने योग्य श्रेणी मे नही थे। इस बाबत् खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अवगत कराने के बाबजूद भी अपने पद का प्रभाव बताते हुए उक्त डेमेज खाद्य पदार्थ का जबरन सेम्पल लिया गया और प्रार्थी सं.–1 के खाली कागज पर हस्ताक्षर करवाकर फोरी कार्यवाही को अंजाम दिया गया जो किसी भी सूरत मे न्यायपूर्ण प्रतीत नही होता है। प्रार्थी सं.–1 के द्वारा उक्त डेमेज खाद्य पदार्थ का किसी भी प्रकार का विक्रय किसी उपभोक्ता को नही किया जा रहा था बल्कि प्रार्थी सं.–2 व 3 को रिप्लेस हेतु रखा गया था। अतः उक्त खाद्य पदार्थ का सब स्टेण्डर्ड केटेगरी का पाए जाने के लिए जबावदारान को उत्तरादायी ठहराया जाना न्यायसंगत नहीं है। अतः उक्त प्रकरण में जबाब स्वीकार कर कार्यवाही ड्रॉप करने का आदेश फरमावें।
- अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा जबाब पेश कर प्रकरण में बहस की गई। बहस के दौरान अधिवक्ता अभियुक्तगण ने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कहा कि अभियुक्त सं.–1 द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ वास्ते बिक्री न रखकर अभियुक्त सं. 2 व 3 को रिप्लेस करने के लिए रखा गया था इस दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जबरन सेम्पल लेकर कार्यवाही की गई। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि अभियुक्तगण को राहत प्रदान करते हुए प्रकरण को ड्रॉप फरमावें।
- पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। साथ ही अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत जबाव एवं उसके द्वारा की गई बहस पर भी मनन किया गया। अतः अभियुक्त को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की **धारा 26 की उप धारा 2(ii)** का अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्ध अपराधी करार दिया जाता है तथा उक्त अपराधिक कृत्य कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माना योग्य अपराध घोषित किया जाता है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (राज.)

- अतः अभियुक्त को खाद्य पदार्थ pure coconut oil anmol gold (dabur) अवमानक स्तर (Sub Standard Food of FSSA 2006) का संग्रह/विक्रय/निर्मित करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 के अन्तर्गत की गई अनियमितता के लिए अभियुक्त संख्या 1 द्वारा उक्त खाद्य सामग्री विक्रय करने के लिए अभियुक्त संख्या 1 पर 50,000/- रूपये (अक्षरे पचास हजार रूपये मात्र) तथा अभियुक्त संख्या 3 द्वारा उक्त खाद्य सामग्री निर्मित करने के लिए 50,000 रूपये (अक्षरे पचास हजार रूपये मात्र) इस प्रकार कुल 1,00,000 रूपये(अक्षरे एक लाख रूपये मात्र) की आर्थिक शास्ति राशि अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। साथ ही अभियुक्त को हिदायत दी जाती है कि उसके द्वारा भविष्य में इस प्रकार के अपराध की पुनरावृति नही हो। अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त शास्ति राशि जरिये चालान तीस दिवस की अवधि में जमा करवाकर चालान की एक प्रति न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी में पेश करे अन्यथा बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को एवं एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावें। अन्य स्थिति मे आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक से प्रेषित की जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 01.11.21 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नवरत्न कोली)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी